फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

भूरी बनाम रामकरण वगै.
किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर : 166/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.04.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये ग्राम आमटेडा तहसील दौसा (हाल तहसील भाण्डारेज) स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 282 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :– **प्रथम दृष्टया मामला :** पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2070–2073 (वर्ष 2019 से स्थायी) अनुसार ग्राम आमटेडा तहसील दौसा (हाल तहसील भाण्डारेज) स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 282 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है। **सुविधा का सन्तुलन :** प्रार्थी द्वारा इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली में प्रश्नगत आराजी के संबंध में तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार ग्राम आमटेडा तहसील दौसा (हाल तहसील भाण्डारेज) स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 282 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। अतः सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है। **अपूर्णीय क्षति :** प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निर्धारित किया जाता है। निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र	

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम आमटेडा तहसील दौसा (हाल तहसील भाण्डारेज) स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 282 के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड, मौके की यथास्थिति बनाये रखने व किसी रहन बय हस्तान्तरण प्रलेख का पंजीयन नहीं करने हेतु उभयपक्ष (प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3) को इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल दावा पत्रावली के हमफीता रहे।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज0)